न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी
जिला सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी– श्री बृजेन्द्र मीणा, आर०ए०एस०

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
01 / 2021	20.01.2021	27.10.21

रामजीलाल पुत्र बृजमोहन, ब्राह्मण निवासी पलासोद तह० बामनवास —प्रार्थी

बनाम

1. बाबूलाल गोदपुत्र गेन्दीलाल प्राकृतिक पुत्र बृजमोहन, ब्राह्मण निवासी पलासोद तह० बामनवास
2. सरकार जरिए लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :— श्री मोहम्मद इस्लाम, एडवोकेट, प्रार्थी की ओर से
श्री आर.बी. जोशी, एडवोकेट, अप्रार्थी की ओर से

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया है कि प्रार्थी के पिता बृजमोहन उर्फ बिरजा पुत्र हरिया की खातेदारी भूमि ख0न0 515 रकबा 3.78 है0 ग्राम नंदपुरा, भूमि ख0न0 289 रकबा 0.48 है0, ख0न0 303 रकबा 0.11 है0 ग्राम कडी गांवडी तह0 तलावडा मे स्थित रही है। अप्रार्थी बाबूलाल प्रार्थी का सगा भाई था जो बचपन मे करीब 50 वर्ष पूर्व गेन्दीलाल पुत्र जयलाल ब्राहमण निवासी लिवाली के गोद चला गया। गेन्दीलाल पुत्र जयलाल प्रार्थी के पिता का गोत्र भाई था। प्रार्थी के मॉ बाप की सहमति से अप्रार्थी बाबूलाल को गोद ले लिया गया। गोद जाने के बाद बाबूलाल का सायल के परिवार से कभी कोई सम्बन्ध नही रहा है। गेदीलाल के मरने के बाद ग्राम लिवाली मे स्थित गेंदीलाल की भूमि ख0न0 830, 832, 833, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224 ,1225 की विरासत बाबूलाल पुत्र गेंदीलाल के नाम से अप्रार्थी के नाम दर्ज हुई थी। उक्त भूमि को अप्रार्थी द्वारा दिनांक 07.10.1986 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र विक्रय कर दिया। गेंदीलाल से मिली विरासत की चल अचल सम्पत्ति को विक्रय करने के बाद बाबूलाल की नियत खराब हो गयी है तथा प्रार्थी के पिता बृजमोहन के मरने के बाद तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत सुमेल से मिलकर फर्जी वारिस प्रमाण पत्र स्वयं के नाम से बनवाकर दर्ज करवा लिया जबकि बाबूलाल के गेंदीलाल के गोद चले जाने के कारण उसका प्रार्थी के पिता की चल अचल सम्पत्ति में कोई हिस्सा नही रहता है। बाबूलाल ने अपने आप को बृजमोहन का पुत्र बताते हुए केसीसी भी उठा ली हैं। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थी बाबूलाल को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाय जावे कि वह ग्राम नंदपुरा मे स्थित भूमि ख0न0 515 एवं कडी

सहायक कलक्टर
एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी (स०मा०)

[illegible] भूमि [illegible] नही करे।

प्रार्थना पत्र [illegible] अप्रार्थीगण को तलब किया गया।

अप्रार्थीगण ने अपने जबाब मे प्रार्थी के अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करते हुए अंकित किया है कि अप्रार्थी बाबूलाल गेंदीलाल के गोद नही गया। बृजमोहन की खातेदारी भूमि मे पुत्र होने के नाते अप्रार्थी बाबूलाल का खातेदारी मे इन्द्राज होना विधि सम्मत है। अप्रार्थी द्वारा कोई फर्जीवाड़ी नही की गई है। वादग्रस्त भूमि पर अप्रार्थी का कब्जा काश्त है तथा अप्रार्थी भूमि का सहखातेदार है। भूमि पर अप्रार्थी का कब्जा होने के कारण दावा व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज होने योग्य है। अतः जबाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज होने योग्य है।

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के समर्थन में प्रार्थी ने फोटोकोपी नकल जमाबंदी सं0 2070 से 2073 खाता संख्या 132 ग्राम नन्दपुरा, खाता संख्या 203 ग्राम कडी गांवडी फोटोकॉपी नामान्तकरण संख्या 370, 565, फोटोकॉपी जमाबंदी खतौनी संवत 2028 खाता संख्या 86 ग्राम लिवाली, फोटोकॉपी विक्रय पत्र, ग्राम पंचायत सुमेल का प्रमाण पत्र, फोटोकॉपी नामान्तकरण संख्या 99 ग्राम लिवाली प्रस्तुत की है।

जबाब के समर्थन मे अप्रार्थी ने फोटोकॉपी लगान रसीद किता 3, फोटोकॉपी सर्विस रिकार्ड, फोटोकॉपी टी.सी., फोटोकॉपी गंगाजी को पंडा को किया दान का प्रमाण पत्र, सेवानिवृत्ति का रिकार्ड, भारतीय डाक विभाग की लिफाफे की फोटोकॉपी प्रस्तुत किये है।

बहस विद्वान वकील उभयपक्ष सुनी गई।

प्रार्थी के विद्वान वकील ने अपने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के अनुरूप बहस करते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का निवेदन किया है।

अप्रार्थी के विद्वान वकील ने अपने जबाब के अनुरूप बहस करते हुए टी0आई0 प्रार्थना पत्र खारिज फरमाने का निवेदन किया है।

बहस पर मनन किया। प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया। फोटोकोपी नकल जमाबंदी सं0 2024 से 2027 ग्राम लिवाली खाता संख्या 86 मे अंकित नोट के अनुसार नामान्तकरण संख्या 87 से यह खाता गेंदीलाल पुत्र

सहायक कलेक्टर
एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी (स०मा०)

जैलाल के स्थान पर बाबूलाल पुत्र गेंदीलाल के नाम स्वीकार हुआ है। फोटोकॉपी विक्रय पत्र दिनांक 7.10.1986 के अनुसार बाबूलाल पुत्र गेंदीलाल ब्राह्मण निवासी लिवाली तह0 बामनवास बहक गोकल, आनंदीलाल पिता रामसहाय माली को भूमि विक्रय की गई है। फोटोकॉपी जमाबंदी संवत 2070–73 ग्राम नंदपुरा खाता संख्या 132, फोटोकॉपी जमाबंदी संवत 2070–73 ग्राम कडीगांवडी खाता संख्या 203 के अनुसार अप्रार्थी बाबूलाल इन खातों मे दर्ज भूमि का सहखातेदार है। अप्रार्थी बाबूलाल का गेंदया का गोद जाने के बारे मे विस्तृत निर्णय मूल वाद मे तय किया जाना है। वर्तमान मे वाद की बहुलता को रोकने के लिए प्रार्थी अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर मूल वाद के निस्तारण होने तक अप्रार्थीगण को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि वे भूमि ख0न0 289 रकबा 0.48 है0, ख0न0 515 रकबा 3.78 है0 ग्राम नंदपुरा, भूमि ख0न0 303 रकबा 0.11 है0 ग्राम कडी गांवडी की रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाए रखें।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

निर्णय आज दिनांक 27.10.25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते

(बृजेन्द्र मीना)
सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी